



पत्रांक-2747 / FP/UK/ROAD/151674/2022 देहरादून: दिनांक: 31 मई, 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।

विषय :- जनपद-बागेश्वर के अन्तर्गत घटगाड से पगना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.669 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की संख्या-3187/12-1(2) दिनांक 20-05-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कमियों के निराकरण के पश्चात् इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जिन्हें वन संरक्षण अधियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है उन प्रस्तावों में इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से कोई जल स्रोत प्रभावित नहीं हो रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या :-2747 / FP/UK/ROAD/151674/2022 दिनांकित।

1- प्रतिलिपि- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वांछित प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

2- प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वांछित प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

0/2